बाबूलाल बनाम गौरीलाल

55/2022

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	23/8/24	पत्रावली पेश हो। वकील [illegible] वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 20/9/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
	20/9/24 (प्रति.सत्य अर्थ) 23/8/24 प्रतिलिपि [illegible] 23/8/24	पत्रावली पेश हो। वकील [illegible] वादी के साक्ष्य पेश करने हेतु अवसर नहीं दिया जाकर वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 18/10/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
	18/10/24 (प्रति.सत्य अर्थ) 20/9/24	पत्रावली पेश हो। वकील [illegible] वादी के साक्ष्य पेश करने हेतु अवसर नहीं दिया जाकर आगामी पेशी पर साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य का अवसर स्वतः बन्द किया जावेगा वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 6/11/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
	6/11/24	पत्रावली पेश हुई। वादी के अधिवक्ता अनुपस्थित। वादी के अधिवक्ता को बहुत आवाज लगवाई गई। लेकिन उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने से वादी [illegible] बाद खारिज किया जाता है। [illegible] का वाद सही कारण से बन्द होना वाद तकमील खारिज दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.05.09 13:12:37 IST
Reason: SelfAttested